प्रकरण सं0 03 / 2021 तारीख दायर :-11.08.2021 दिनांक निर्णय :-01.09.2021

पटवारी हल्का सुरेर **बनाम** कैलाश वगैरा

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थीगण का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कैलाश पुत्र प्रभुदयाल मीना ग्राम गोठ का द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें आ0ख0न0 647 रकबा 0.33 हे0 किस्म चारागाह में से 0.10 हे0 वाके ग्राम गोठ से अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन लिखित में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को न्यायहित में अतिक्रमण हटा लेने हेतु अवसर दिया किन्तु मौके पर से अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अप्रार्थीगण की मंशा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाढ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। आज बावजूद सूचना के अतिक्रमी अनुपस्थित रहा है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री कैलाश, शिम्भू पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी ग्राम गोठ को आराजी ख0न0 647 रकबा 0.33 हे0 किस्म चारागाह में से 0.10 हे0 वाके ग्राम गोठ से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है, तथा सरह लगान 0.20 की 50 गुणा में मु0 10.00/ -रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 01.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-21
के पृष्ठ संख्या 11 पन्न-पा-पै. 10/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार